

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 60/2022

मंगल पुत्र छीतर जाति जाटव निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी


दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एकट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :- 04/05/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एकट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 164/0.69, हाल खसरा नम्बर 263/0.69 बांके ग्राम डाबरा एवं खसरा नम्बर साविक 462/0.67 हाल खसरा नम्बर 710/0.67 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी पूर्व में वादी के पिता छीतर पुत्र नानगा के कब्जे काशत की आराजी थी जिस पर सम्पूर्ण जीवन काल तक काशत की और उसके बाद स्वयं वादी की कब्जे काशत है। मौके पर वादी की फसल खडी हुई है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है जो खिलाफ कानून है। वादी को खातेदार काशतकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार काशतकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादी ने दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरुद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काशतकार के रूप में काबिज है इसलिए


उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 22/04/22 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये। जबाब पेश किया कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादी का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। मौके पर आराजी में फसल खड़ी हुई है। आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :- आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :- आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

3 :- दादरसी।


वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 मंगल, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2009-12, 2013-16, 2017-20, 2033-36, 2042-45, 2046-49, 2050-53, 2053-57, 2075-78, एवं नकल खसरा गिरदावरी व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :- 1 आया आराजी वादी की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2009-12 में आराजी वादी के पिता छीतर पुत्र नानगा की गैर


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

कोरोसी की आराजी थी। छीतर के मरने के बाद आराज विरासतन वादी मंगल के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई है। जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2017-20 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।
तनकी संख्या :- 2 आया आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :- तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर साविक 164/0.69, हाल खसरा नम्बर 263/0.69 बांके ग्राम डाबरा एवं खसरा नम्बर साविक 462/0.67 हाल खसरा नम्बर 710/0.67 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गौयल)
 उपखण्ड अधिकारी
 पहाड़ी (भरतपुर)